564 आदेश सं0-563

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
2	3

अभिलेख उपस्थापित।

0.23 आशा देवी पति बृजमोहन ठाकुर निवास स्थान खिरगाँव, थाना-सदर, जिला-हजारीबाग द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-सदर हजारीबाग, मौजा-खिरगाँव, थाना नं0-145, खाता संख्या-82, प्लॉट संख्या-1024, रकबा-0.0325 एकड़ (3.25 डिसमिल) (तीन दशमलव दो पाँच डिसमिल) भूमि सन्नी कुमार पिता बच्चनदेव सिंह, निवास स्थान खिरगाँव, थाना-सदर, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री करने हेतु आवेदक एवं प्रस्तावित केता का जाति, आवासीय प्रमाण-पत्र की छायाप्रति एवं भूमि संबंधी कागजात संलग्न करते हुए आवेदन समर्पित किया गया है। प्राप्त आवेदन के आलोक में परमिशन वाद संख्या-162/2022 प्रारम्भ कर कार्यालय पत्रांक 555/रा0 दिनांक 03.02.2022 द्वारा अंचल अधिकारी, सदर को आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन एवं जाँच प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया।

अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग के पत्रांक 564 दिनांक 22.03.2023 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन, आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन एवं प्रस्तावित भूमि का ट्रेस नक्शा उपलब्ध कराया गया है। आम इस्तेहार में किसी भी व्यक्ति द्वारा आपत्ति दर्ज नहीं किया गया है। अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग द्वारा जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि –

विक्रेता एवं क्रेता पिछड़ा वर्ग के अन्तर्गत है, जो सी0एन0टी0 से आच्छादित है एवं हजारीबाग जिला के निवासी हैं। आवेदित भूमि केवाला से हासिल है। भूमि रैयती खाते की है। खतियानी रैयत रामलाल माली वगैरह हैं। खतियान के अनुसार धारित कुल रकबा 4.38 एकड़ भूमि है। पंजी-II अनुसार जमाबंदी रैयत द्वारा धारित कुल रकबा 0.0825 एकड़ भूमि है। पंजी-II के पृष्ठ संख्या-82/VI पर आशा देवी के नाम से जमाबंदी दर्ज है। लगान रसीद वर्ष 2012-13 तक निर्गत् है। आवेदिका स्वयं जमाबंदी रैयत हैं। आवेदिका द्वारा धारित कुल रकबा 0.0825 एकड़ भूमि है। बिक्री की अनुमति मिलने के पश्चात् रकबा 0.05 एकड़ भूमि तथा इसके अलावे कटकमदाग अंचल के सिरसी में खाता संख्या-80, 81 (17/VI) में 80डी0 भूमि बचती है। विक्रेता को भूमि बिक्री करने का अधिकार है। प्रस्तावित भूमि भूदान/भू-अधिग्रहण क्षेत्र/प्रतिबंधित सूची/वन भूमि/सरकारी भूमि के अन्तर्गत नहीं है। साथ ही BLR Act Section 4h से मुक्त है। प्रश्नगत् भूमि आवेदिका के दखल कब्जा में है।

अनुसूची-14 फारम सं0-563

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
1	2	3
	प्रश्नगत् भूमि का ट्रेस नक्शा प्राप्त है, जिसमें आवेदित भूमि को पीला रंग से दर्शाया गया है एवं नक्शा में प्रस्तावित भूमि का चौहद्दी भी अंकित किया गया है। साथ ही वर्ष 2023-24 तक निर्गत् लगान रसीद की छायाप्रति भी प्राप्त है। अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग द्वारा विक्रेता को छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के तहत् प्रश्नगत् भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा की गयी है। उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग के अनुशंसा के आलोक में आशा देवी पति बृजमोहन ठाकुर निवास स्थान खिरगाँव, थाना-सदर, जिला-हजारीबाग को छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अंचल-सदर हजारीबाग, मौजा-खिरगाँव, थाना नं0-145, खाता संख्या-82, प्लॉट संख्या-1024, रकवा-0.0325 एकड़ (3.25 डिसमिल) (तीन दशमलव दो पाँच डिसमिल) भूमि सन्जी कुमार पिता बच्चनदेव सिंह, निवास स्थान खिरगाँव, थाना-सदर, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री हेतु अनुमति प्रदान की जाती है। साथ ही अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती है। लेखापित एवं संशोधित अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग। अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग।	

Digitally signed by RAKESH RAUSHAN
Date: 2023.06.24 15:54:09 +05:30
Location: 192.168.0.101